पत्र संख्या–11 / आ0–विविध–16 / 2019 सा0प्र0 12256

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

पटना–15, दिनांक– 27.10.2020

विषय :– विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1138 दिनांक–09.07.2020 के द्वारा विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र उनके मायके अथवा ससुराल से निर्गत करने के संबंध मे मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना सख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 की कडिका–2(ज) मे परिवार की परिभाषा अकित है, इसके अनुसार विवाहित महिला के मामले मे पति ही परिवार में सम्मिलित माना जायेगा।

अतएव विवाहित महिलाओं के संदर्भ मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र उनके पति के निवास स्थान से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

27.10.2020

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

6 NOV 2020

9808 06/11/20

2075 04/11/2020

ज्ञापांक– 50 दिनांक– 18/01/2021

प्रतिलिपि:– सभी अनुमंडल पदा०, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदा०, जिला कल्याण पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
मधुबनी

18/01/2021